अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

ज्ञान कौर वगैरा बनाम जिला पुर्नवास अधिकारी,श्रीगंगानगर

अपील प्रकरण सं0 30 / 2023

अधिवक्ता अपीलार्थी :– तेजा सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेन्टसः–

मो.नम्बर :–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
27.06.2023	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वास्ते सुनवाई क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर दिनांक 13.07.2013 को पेश हो। [signature]	
13/7/23	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी ......अवकाश पर...... है। पत्रावली दिनांक 17/7/23 को पेश हो। [signature]	
17/7/23	अधिवक्ता अपीलार्थी एवं पत्रावली वास्ते सुनवाई क्षेत्राधिकार बिंदु दिनांक 24/7/23 को पेश हो। [signature]	
24/7/2023	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.11.2021 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि अपीलार्थी की पत्रावली 60 / 82 दिनांक 27.11.1984 से पेंडिग पड़ी है उसको पेशी में लेकर धारा 19(2) डी.पी.एक्ट में उचित निर्णय करने हेतु सुनवायी के लिए निश्चित की जावें, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी की तारीख फिक्स न करके अपने स्तर पर तहसील से रिपोर्ट मंगवाकर प्रार्थीगण / अपीलांट्स का अन्य केस का हवाला देते हुए तहसील रिपोर्ट को बढा चढाकर पेश करवाकर किसी अजनबी व्यक्ति से आवेदन पत्र पर बिना सुने दिनांक 04.11.2022 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जबकि अपीलांटान को कोई सुनवायी का अवसर नहीं दिया न ही अपीलांट के वकील को बुलाया गया। उसके पश्चात अपीलांटान के वकील को पता चलते ही अपीलांटान के वकील द्वारा पुनार्वलोकन प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2022 को पेश किया कि उक्त पत्रावली में पेशी में निश्चित करने के लिए आवेदन पत्र दिया था उस पर अदालतवाला ने सहवन भूल से निर्णय न करके तहसील से रिपोर्ट मंगवाकर निर्णय कर दिया जो विधिविरूद्ध है इसलिए उक्त पत्रावली जो पेण्डिग है उसमें सुनवायी की जावें लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने फिर उक्त प्रार्थना पत्र पर अजनबी व्यक्ति की दरख्वास्त पर बिना अपीलांटान व अपीलांटान के वकील को सुने मैरिट पर निर्णय कर दिया जबकि उक्त पत्रावली में 1984 से रिसीवर होने के बाद पेण्डिग पडी थी उसे पेशी में लेकर निर्णय किया जाना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। जिसकी अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को है। अतः अपील दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया जावें।	

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्न नजीर पेश की

1. 2008(1) डीएनजे (राज0) पेज– 396

विस्थापित व्यक्ति को प्रतिकर तथा पुर्नवास अधिनियम, 1954 साधारण खण्ड अधिनियम धारा 6–1954 के अधिनियम को निरसन–1954 के अधिनियम 1954 के अधिनियम के निरसित होने के बाद में, कार्यवाहियॉ स्वतः समाप्त नही होगी तथा जारी रहेगी लम्बित मामले, जिनमें 1954 के अधिनियम के नि0रसित होने के बाद कार्यवाही नही हुई, उनमें अग्रसर हुआ जाये तथा शीघ्रतिशीघ्र विनिश्चयन किया गया।

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम यह तय किया जाना उचित होगा कि इस न्यायालय को उक्त प्रकरण की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है या नही । अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.11.2022 जिसकी प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पूर्व में वर्तमान अपील से सम्बन्धित कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा एक अपील संख्या 53/16 ज्ञान कौर बनाम राजी बाई वगैरा प्रस्तुत की थी जिसका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2016 को निम्नप्रकार से निर्णय किया गया।

प्रस्तुत अपील अपीलांटस द्वारा जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश कमांक 71 दिनांक 01.01.1985 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा चक 13 एफ बड़ा गुरब्बा नम्बर 2 आवंटन किया गया था को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है।

डिसप्लैस्ट परसन एवं रिहेबिलीटेशन एक्ट 1954 के रिलीफ के समय प्रस्तुत अपील विचाराधीन नहीं थी। रिलीफ आदेश में केवल यह प्रावधान दिया गया था कि उस समय ऐसे समामले जो लम्बित थे, उनको स्वतः निर्णित नही माना जायेगा, उनको जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 6 के अन्तर्गत देखा जाकर निर्णित किया जायेगा। प्रस्तुत मामला उस समय लम्बित नहीं था।

वकील अपीलांट द्वारा इस मामले मे प्रस्तुत मा0 उच्च न्यायलय की नजीर डी0एन0जे0 2008 (1)राज0 पेज 396 के तथ्य इस प्रकरण पर लागू नही होते है। अतः प्रस्तुत अपील एडमिशन की स्टेज पर खारिज की जाती है।

चूंकि पूर्व में ही उक्त विवादग्रस्त भूमि का निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2016 को किया चुका है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीया द्वारा कोई अपील अथवा रिवीजन/रिट सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर उक्त आदेश को निरस्त नहीं करवाया है इसलिए उक्त आदेश अन्तिम हो चुका है। डी.पी.सी. एण्ड आर एक्ट 1954 में हो चुके निर्णय को रिव्यू करने का कोई प्रावधान नही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.11.2022 की सुनवाई करना पुर्नविचार करने के सम्मान होगा। चूंकि अधिनियम में पुर्नविचार का कोई प्रावधान नही है इसलिए अधीनस्थ न्यायलय के निर्णय में गुणदोष के आधार पर विचार करना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थीयां को इस न्यायालय के पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2016 पर कोई आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय में वाराजोही करें। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी आधार पर सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04.11.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उसे पुष्टी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
श्रीगंगानगर